152/18

A2
16

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 152/2018 (46/2013)
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकाशचन्द उर्फ ओमप्रकाश आत्मज श्री रामचन्द्र, जाट(मृत)

1.1. अशोक गोदारा आत्मज स्व. श्री प्रकाशचन्द्र उर्फ ओमप्रकाश, जाट, चक 1 एच मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर,

1.2. श्रीमती सावित्रीदेवी धर्मपत्नी स्व. श्री प्रकाशचन्द्र उर्फ ओमप्रकाश, जाट, चक 1 एच मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादीगण

बनाम

1. श्रीमती राजेन्द्रकौर धर्मपत्नी श्री जगजीतसिंह,
2. रूपल आत्मजा श्री जगजीतसिंह, खत्री, जेट एयरवेज लेबर ब्यूरो,
3. पुनीत,
4. हरकरणसिंह आत्मजन श्री जगजीतसिंह, खत्री, अव्यस्कगरण, द्वारा प्राकृतिक माता श्रीमती राजेन्द्रकौर, भूखण्ड संख्या 1/49, राजस्थान एपाटरमेन्ट के आपोजिट, चण्डीगढ,
5. श्रीमती पुष्पादेवी धर्मपत्नी श्री मूलचन्द, जाट, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर,
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
7. अंकितकुमार**(विलोपित)**,
8. अमितकुमार आत्मजन श्री अमरसिंह, वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर.**(विलोपित)**

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री गुरविन्द्रसिंह (वादीगण)
श्री बलविन्द्रसिंह बराड़ (प्रतिवादी–1से4)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–6)

दिनांक 18 अक्तूबर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 1 एच. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/30 मुरब्बा नबर 27 किला नम्बर 1 से 16 में 4.047 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 21 से 25 में 1.264 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 1 से 5 में 1.252

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

152/18

A2/17

हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 1 से 25 में 6.323 हैक्टर कुल 12.887 हैक्टर कृषि भूमि जिसमें से 0.254 हैक्टर राजस्व अभिलेखों में आबादी भूमि दर्ज है. जिसमें वादी 5.563 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 3.162 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 3.162 हैक्टर हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हिस्सा की कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता के नाम दर्ज था इनके पिता एवं पति की मृत्यु करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसके उपरान्त उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज की गयी है. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि पर वादी करीब 21 वर्षो से लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वादी का कब्जा काश्त बना किसी विध्न के चला आ रहा है. जिसका राजस्व लगान ीी वादी द्वारा पिछले 21 वर्षो से अदा किया जा रहा है पानी की पर्चियां भी वादी के नाम से चली आ रही हैं. जिसे वादी द्वारा समतल कर काफी मेहनत कर उपजाउ बनाया गया है. इस प्रकार वादी उक्त हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता की मृत्यु से पूर्व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता की मृत्यु पश्चात उक्त प्रतिवादी संख्य 1 से 4 के हिस्सा की 3.162 हैक्टर कृषि भूमि पर वादी का प्रतिकूल बिना किसी रूकावट से तथा वादी इस भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वतः ही भूमि का खातेदार हो गया है तथा इसी आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में भी उसी अनुरूप अंकन करवाने का अधिकारी है. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता को पूर्व में कई बार उक्त 3.162 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार होने बाबत कहते हुऐ राजस्व अभिलेखों में भी अंकन करवाने का कथन किया गया किन्तु वह आज कल कहकर टालमटोल करता रहा तथा आज से करीब तीन वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु हो गयी तथा उसकी मृत्योपरान्त वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को कई बार कहा कि वादी इस 3.162 हैक्टर कृषि भूमि का प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार हो चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में भी अंकन करवाने को कहा गया किन्तु प्रतिवादी टालमटोल करते रहे तथा आज से करीब 15 दिवस पूर्व वादी को खातेदार मानने एवं राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करवाने से इन्कार हो गये. यही वादहेतुक वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने का प्राप्त हुआ है. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा गांव में एलानिया तौर पर कह रहे हैं कि अपने हिस्सा की कृषि भूमि को किसी बदमाश प्रवृति के व्यक्तियों को रहन, बैय कर देंगे तीी इस भूमि पर बैंक से भारी ऋण लेकर बाद में जमा नहीं करवाकर उक्त हिस्सा को कुर्क करवाकर नीलाम करवा देंगे. इस प्रकार वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है

152/18

A2/18

यदि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबन्द न किया गया तो वे उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर देंगे. इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हिस्सा की चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/30 के 3.162 हैक्टर पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेखों में उसके नाम पर अंकन करने के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्व इस आश्य की कि वादी के कब्जा काश्त में उक्त 3.162 हैक्टर कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से निषिद्व रहे, जारी करने हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में सिंचाई विभाग द्वारा जारी पानी की पर्ची, पानी की पर्ची संख्या 8384 पानी की पर्ची संख्या 796, पानी की पर्ची दिनांक 19 मई, 1984, पानी की पर्ची दिनांक 16 मई, 1987, पानी की पर्ची दिनांक 19 मई, 1987, पानी की पर्ची संख्या 1255 दिनांक 12 मई, 1989, पानी की पर्ची संख्या 1812 दिनांक 6 मई, 1991, पानी की पर्ची संख्या 5504 दिनांक 18 अक्तूबर, 1993, पानी की पर्ची संख्या 5049 दिनांक 20 अप्रेल, 1996 एवं पानी की पर्ची संख्या 11199 दिनांक 20 नवम्बर, 1998, पानी की पर्ची दिनांक 27 अप्रेल, 1983, पानी की पर्ची दिनांक 9 जून, 1983, पानी की पर्ची संख्या 796 दिनांक 05 मई, 1981, पानी की पर्ची दिनांक 19 मई, 1984, पानी की पर्ची दिनांक 16 मई, 1983, पानी की पर्ची संख्या दिनांक 19 मई, 1987, पानी की पर्ची अदिनांकित, पानी की पर्ची संख्या 4258 दिनांक 12 मई, 1989, पानी की पर्ची संख्या 1812 दिनांक 6 मई, 1991, पानी की पर्ची संख्या 5710 दिनांक 16 अक्तूबर, 1992, पानी की पर्ची संख्या 5504 दिनांक 18 अक्तूबर, 1993, पानी की पर्ची संख्या 5049 दिनांक 20 अप्रेल, 1996, पानी की पर्ची संख्या 1199 दिनांक 20 अक्तूबर, 1998, पानी की पर्ची संख्या 1552276/31, पानी की पर्ची संख्या अपठित, पानी की पर्ची संख्या 12862/29, पानी की पर्ची संख्या 95780/39, पानी की पर्ची संख्या 1183, पानी की पर्ची संख्या 2668/47, पानी की पर्ची संख्या 839/07, पानी की पर्ची संख्या 5912/4, पानी की पर्ची संख्या 20896/39, पानी की पर्ची संख्या 92708/32, पानी की पर्ची संख्या 37, पानी की पर्ची संख्या 988/10, पानी की पर्ची संख्या 601/06, पानी की पर्ची संख्या 415/12, पानी की पर्ची संख्या 45445/16, पानी की पर्ची संख्या 45445, पानी की पर्ची संख्या अपठनीय, पानी की पर्ची संख्या 20093/30, पानी की पर्ची संख्या 20093/31 सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 64409/44, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 3524/02, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 65590/43, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 65590/18, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 3248/40, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

152/18

A2/19

41 6/42, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 2605/14, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 6362/39, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 47011/17, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 2471, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 1934/25, सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 329/12, राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2059 प्रस्तुत किये गये.

प्रतिवादी संख्या 1, 3 एवं 4 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 27 जनवरी, 2003 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी का प्रश्नगत कृषि भूमि पर 21 वर्षो से कब्जा नहीं चला आ रहा है. पानी की पर्ची भी वादी के नाम नहीं बल्कि प्रतिवादीगण के नाम से है. प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पूर्ण प्रतिफल देकर क्रय किया गया था. जिसे अपने जीवनकाल में स्वयं काश्त कर प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का भरणपोषण करते रहे तथा उनकी मृत्योपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बेसहारा हो गये इसलिये वादी द्वारा प्रतिवादीगण के कमजोर वर्ग का लाभ उठाते हुऐ गत वर्ष इस कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया जिसी बाबत प्रतिवादीगण द्वारा वादी को भूमि का कब्जा वापिस देने हेतु कई बार कहा किन्तु वह टालमटोल करता रहा. वादी से कब्जा न छिन जाये, इसलिये मिथ्या तथ्यों के आधार पर विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत किया गया है. वादी का कोई प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुऐ हैं. बल्कि प्रतिवादी संख्या 3 से 4 अव्यस्क हैं जिनकी कृषि भूमि पर विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जा नहीं हो सकता. न ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व वादी का प्रतिकूल कब्जा हो सकता है. प्रतिवादी महिला होने का नाजायज फायदा उठा कर वादी द्वारा गत वर्ष प्रश्नगत कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया, कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिये पृथक से काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है. वादी प्रतिवादीगण की कृषि भूमि पर खातेदारी धोषित करवाने का कतई अधिकारी नहीं है. लगान आदि का भुगतान प्रतिवादीगण द्वारा किया जा रहा है. वास्तव में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को इस बाबत निवेदन किया गया कि पिछले वर्ष प्रतिवादी के महिला होने नाजायज लाभ उठा कर कब्जा कर लिया गया है जिस पर वादी अतिक्रमी है इस कृषि भूमि को प्रतिवादीगण को वापिस कर देवें जिस पर कब्जा न छोड़ने की नीयत से वादी द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है. प्रतिवादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार हैं जिनके विरूद्व किसी भी आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. काउण्टर क्लेम में अंकित किया गया कि

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 महिला एवं कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है. प्रतिवादी संख्या 3 अव्यस्क है जिसका कानूनन भी न्यायालय द्वारा संरक्षण किया जाना जरूरी है. महिला की सम्पत्ति की बाबत विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जा नहीं हो सकता. कृषि भूमि का लगान निरन्तर जमा करवा रहे हैं. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार हैं. वादी को काश्त अथवा किसी भी अन्य तरीका से कब्जा नहीं दिया गया है. बल्कि वादी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि पर गत वर्ष महिला होने का नाजायज फायदा उठाते हुऐ कब्जा कर लिया. अतः वादी को धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादी को बेदखल कर कब्जा दिलाये जाकर गत वर्ष वादी द्वारा नाजायज काश्त कर लाभ उठाया गया है, इसके लिये इस वर्ष का मध्यवर्ती लाभ करीब 50,000 दिलाये जावे. वादी को प्रश्नगत कृषि भूमि पर कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है. इसलिये प्रतिवादीगण वादी के साथ सहखातेदार होने के कारण विभाजन की डिक्री पारित की जावे. इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र निरस्त करते हुऐ काउण्टर क्लेम स्वीकार कर चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/30 की कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि का विभाजन किया जाकर धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया.

वादीगण की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 11 अगस्त, 2004 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी श्री प्रकाशचन्द्र उर्फ ओमप्रकाश आत्मज श्री रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 14 मई, 2004 को हो चुकी है जिसे वारिसान श्रीमती सावित्री देवी धर्मपत्नी एवं श्री अशोक गोदारा पुत्र है जिन्हें मृतक वादी के स्थान पर वादी प्रतिस्थापित किये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्री ओमप्रकाश का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 28 मई, 2004 की चित्रित प्रति संलग्न की गयी.

वादी द्वारा जवाबुलजवाब दिनांक 28 सितम्बर, 2004 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र के बिन्दु संख्या 4 में कथन किया गया है कि पानी की पर्ची प्रतिवादी संख 1 से 4 के नाम से है बल्कि पानी एवं मामला की पर्चियां वादीगण के पति एवं पिता के नाम से 21 वर्षो की है तथा वादीगण के पिता एवं पति का उक्त भूमि पर आज से 21 वर्षो से बिना किसी रूकावट 3.162 हैक्टर कृषि भूमि पर कब्जा चला आ रहा है. जिसपर काश्त की जा रही है. वर्तमान में वादीगण का पति एवं पिता ही काश्त करता आ रहा हैवर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 या उनके पिता एवं पति का इस भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 चण्डीगढ में अपना व्यवसाय कर रहे हैं. वादीगण का या वादीगण के पिता एवं पति का

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(पोस्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

152/18

A2
21

कब्जा नाजायज कब्जा नहीं बल्कि प्रतिकूल कब्जा है. जिसका प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया गया व न ही कब्जा प्राप्त करने की मांग ही की गयी. वादीगण का इस कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के कारण ही उन्हें स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अव्यस्क होने से वादपत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता श्री जगजीतसिंह के जीवनकाल में भी वादीगण के पति एवं पिता का कब्जा काश्त इस भूमि पर चला आ रहा है उसमें भी किसी प्रकार का विरोध इस कब्जा बाबत नहीं किया गया. वर्तमान में वादीगण का कब्जा है इस प्रकार प्रतिवादीगण अब किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं. न ही प्रतिवादगण उक्त कृषि भूमि का लगान आदि अदा कर रहे हैं बल्कि भूमि का लगान पूर्व में वादीगण के पिता/पति द्वारा अदा किया जा रहा है तथा वर्तमान में वादीगण उसके जायज वारिसान द्वारा अदा किया जा रहा है. जवाब काउण्टर क्लेम में अंकित किया गया कि वादीगण क पिता/पति का प्रश्नगत कृषि भूमि पर गत 21 वर्षो से प्रतिकूल कब्जा है जिनकी मृत्योपरान्त वादीगण का प्रतिकूल कब्जा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रति. संख्या 3 व 4 के पिता द्वारा गत 21 वर्षो से किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया गया तथा पिछले तीन वर्षो से प्रतिवादीगण द्वारा भी इस कब्जा का विरोध नहीं किया गया है. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार नहीं रहे व न ही विभाजन की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं. प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम मिथ्या आधार पर प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार जवाब वादपत्र एवं काउण्टरक्लेम निरस्त करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 19 सितम्बर 2006 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी को प्रतिवदीगण की भूमि पर कब्जा बताने का कोई कानूनी आधार नहीं है. वादाधीन भूमि सिंचित एवं कीमती भूमि है जिस पर बिना कीमत अदा किये कोई भी कब्जा नहीं करने देता है. वस्तुताः प्रकरण भूमि हस्तान्तरण का है किन्तु पक्षकारान स्टाम्प डयूटी से बचने के लिये वाद द्वारा निर्णित करवाना चाहते हैं जिससे राज्य सरकार को स्टाम्प डयूटी की हानि होती है. अतः राज्यहित को सुरक्षित रखते हुऐ वाद को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(ईस्ट टेक) श्रीगंगानगर

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यक निर्धारित किये गये –

1. आया वादीगण चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की कृषि भूमि खाता संख्या 34 नया 30 की 3.162 हैक्टर नहरी जो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4

152/18

A2
22

के हिस्सा पर मुखलफाना कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है? ....**वादीगण**

2. आया प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 विवादित भूमि का कब्जा धारा 183 राज.का. अधिनियम के तहत प्राप्त करने के अधिकारी हैं? ....**प्रतिवादीगण**

3. अन्य अनुतोष?

4. क्या प्रतिकूल कब्जा के आधार पर औरतजात के खिलाफ वाद पोषणीय है अथवा नहीं है?....**प्रतिवादीगण**

विवाद्यकों के विनिश्चिय के लिये साक्ष्य वादी हेतु श्री अशोक गोदारा द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिससे जिरह की गयी तथा अभिलेख सिंचाई विभाग द्वारा जारी पानी की पर्ची (प्रदर्श –1ए), पानी की पर्ची संख्या 8384 (प्रदर्श–2ए) पानी की पर्ची संख्या 796(प्रदर्श–3ए), पानी की पर्ची दिनांक 19 मई, 1984(प्रदर्श–4ए), पानी की पर्ची दिनांक 16 मई, 1987(प्रदर्श–5ए), पानी की पर्ची दिनांक 19 मई, 1987(प्रदर्श–6ए), पानी की पर्ची संख्या 1255 दिनांक 12 मई, 1989(प्रदर्श–7ए), पानी की पर्ची संख्या 1812 दिनांक 6 मई, 1991(प्रदर्श–8ए), पानी की पर्ची संख्या 5504 दिनांक 18 अक्तूबर, 1993(प्रदर्श–9ए), पानी की पर्ची संख्या 5049 दिनांक 20 अप्रेल, 1996(प्रदर्श–10ए) एवं पानी की पर्ची संख्या 11199 दिनांक 20 नवम्बर, 1998(प्रदर्श–11ए), पानी की पर्ची दिनांक 27 अप्रेल, 1983(प्रदर्श–12ए), पानी की पर्ची दिनांक 9 जून, 1983(प्रदर्श –13ए), पानी की पर्ची संख्या 796 दिनांक 05 मई, 1981(प्रदर्श –14ए), पानी की पर्ची दिनांक 19 मई, 1984(प्रदर्श–15ए), पानी की पर्ची दिनांक 16 मई, 1983(प्रदर्श–16ए), पानी की पर्ची संख्या दिनांक 19 मई, 1987(प्रदर्श–17ए), पानी की पर्ची अदिनांकित (प्रदर्श –18ए), पानी की पर्ची संख्या 4258 दिनांक 12 मई, 1989(प्रदर्श –19ए), पानी की पर्ची संख्या 1812 दिनांक 6 मई, 1991(प्रदर्श –20ए), पानी की पर्ची संख्या 5710 दिनांक 16 अक्तूबर, 1992(प्रदर्श –21ए), पानी की पर्ची संख्या 5504 दिनांक 18 अक्तूबर, 1993(प्रदर्श –22ए), पानी की पर्ची संख्या 5049 दिनांक 20 अप्रेल, 1996(प्रदर्श –23ए), पानी की पर्ची संख्या 1199 दिनांक 20 अक्तूबर, 1998(प्रदर्श –24ए), पानी की पर्ची संख्या 1552276/31(प्रदर्श–25ए), पानी की पर्ची संख्या अपठित(प्रदर्श–26ए), पानी की पर्ची संख्या 12862/29 (प्रदर्श–27ए), पानी की पर्ची संख्या 95780/39 (प्रदर्श–28ए), पानी की पर्ची संख्या 1183(प्रदर्श–29ए), पानी की पर्ची संख्या 2668/47 (प्रदर्श–30ए), पानी की पर्ची संख्या 839/07(प्रदर्श–31ए), पानी की पर्ची संख्या 5912/4(प्रदर्श–32ए), पानी की पर्ची संख्या 20896/39(प्रदर्श–33ए), पानी की पर्ची संख्या 92708/32 (प्रदर्श–34ए), पानी की पर्ची संख्या 37(प्रदर्श–35ए), पानी की पर्ची

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक द्वारा जारी

संख्या 988/10(प्रदर्श–36ए), पानी की पर्ची संख्या 601/06(प्रदर्श –37ए), पानी की पर्ची संख्या 415/12 (प्रदर्श–38ए), पानी की पर्ची संख्या 45445/16 (प्रदर्श–39ए), पानी की पर्ची संख्या 45445 (प्रदर्श–40ए), पानी की पर्ची संख्या अपठनीय (प्रदर्श–41ए), पानी की पर्ची संख्या 20093/30(प्रदर्श–42ए), पानी की पर्ची संख्या 20093/31 (प्रदर्श–43ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 64409/44 (प्रदर्श–44ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 3524/02 (प्रदर्श–45ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 65590/43 (प्रदर्श–46ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 65590/18 (प्रदर्श–47ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 3248/40 (प्रदर्श–48ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 41 6/42 (प्रदर्श–49ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 2605/14 (प्रदर्श–50ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 6362/39 (प्रदर्श–51ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 47011/17 (प्रदर्श–52ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 2471 (प्रदर्श–53ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 1934/25 (प्रदर्श–54ए), सिंचाई विभाग द्वारा जारी रसीद संख्या 329/12 (प्रदर्श–55ए), राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2059(प्रदर्श–56) प्रदर्श किये गये.

प्रतिवादीगण की ओर से आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी द्वारा विचाराधीर वाद प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवादीगण महिला है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधीनियम के अन्तर्गत उनके प्रतिकूल कब्जा के लिये वाद पोषणीय नहीं है. जवाब वादपत्र में यह आधार लिया गया है परन्तु सहवन से यह तनकी बनने से रह गयी है इसलिये न्यायालय से निवेदन है कि तनकी बनायी जावे – *क्या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर औरत जात के खिलाफ चलने योग्य नहीं है?* प्रतिवादीगण, इस प्रकार उक्त विवाद्यक निर्धारण करने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2012 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. यथा प्रस्तावित विवाद्यक निर्धारत किया गया.

प्रतिवादीगण की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 4 जनवरी, 2013 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा जवाब वादपत्र प्रस्तुत करते हुऐ निवेदन किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में महिला के विरूद्व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर विधि द्वारा वर्जित है चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर महिला की खातेदारी कृषि भूमि पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सके हैं. इस प्रकार माननीय

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगा

न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विवाद्यक निर्धारित किया गया है विधि द्वारा वर्जित होने के कारण वादपत्र पोषणीय नहीं है इसलिये इसी स्तर पर वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने के कथन किये जाने के परिणामतः आदेश दिनांक 8 जुलाई, 2013 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी.

प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 27 मई, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.323 हैक्टर कृषि भूमि श्री अंकित कुमार एवं अमितकुमार आत्मजन श्री अमरसिंह, वार्ड नम्बर 14, रामदेव मन्दिर के सामने श्रीगंगानगर द्वारा क्रय किया गया है इसलिये वे आवश्यक एवं हितकर पक्षकार हैं. यदि उनको प्रतिवादी संख्या 7 व 8 बना दिया जाये तो न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी. इस प्रकार श्री अंकितकुमार एवं श्री अमितकुमार को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 लाल स्याही से अंकित किये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में प्रतिवादी श्री अंकितकुमार एवं श्री अमितकुमार को पक्षकार बनाया गया है. वादी इनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहता है इसलिये वादी उनके विरूद्व वाद नहीं चलाना चाहता इसलिये वादपत्र में बतौर प्रतिवादी पक्षकार विलोपित किया जावे. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का नाम विलोपित करने का निवेदन किया गया. इसी श्रृंखला में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आवेदनपत्र दिनांक 21 जून, 2017 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादीगण का वाद में अंकित भूमि से किसी भी प्रकार का हित अथवा सम्बन्ध नहीं है तथा न ही वादपत्र में प्रतिवादीगण के वियद्व कोई अनुतोष चाहा गया है. प्रतिवादीगण को वादपत्र में अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है. वादपत्र में किसी भी निर्णय से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिये प्रतिवादीगण वादपत्र से अपना नाम विलोपित करवाना चाहते हैं इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का नाम विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया. वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर जवाब आवेदनपत्र बन्द किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

आवेदनपत्र स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को प्रतिवादीगण की सूचि से विलोपित किया गया.

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – आया वादीगण चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की कृषि भूमि खाता संख्या 34 नया 30 की 3.162 हैक्टर नहरी जो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के हिस्सा पर मुखलफाना कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है? ....**वादीगण**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2059–62 के अनुसार चक 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/30 मुरब्बा नबर 27 किला नम्बर 1 से 16 में 4.047 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 21 से 25 में 1.264 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 1 से 5 में 1.252 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 1 से 25 में 6.323 हैक्टर कुल 12.887 हैक्टर कृषि भूमि में से 0.254 हैक्टर राजस्व अभिलेखों में आबादी भूमि दर्ज है. जिसमें वादी 5.563 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 3.162 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 3.162 हैक्टर हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अतिचार के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है. ऐसी स्पष्ट स्थिति में, विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – आया प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 विवादित भूमि का कब्जा धारा 183 राज.का. अधिनियम के तहत प्राप्त करने के अधिकारी हैं? ....**प्रतिवादीगण**

प्रतिवादीगण महिला एवं अव्यस्क व्यक्ति हैं जिनके पति एवं पिता द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को अपनी आवश्यकता के लिये पूर्ण प्रतिफल राशि का भुगतान कर क्रय किया गया है जो उनके पति एवं पिता की मृत्योपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की नाम पर राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज है. ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपनी खातेदारी कृषि भूमि 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/30 मुरब्बा नबर 27 किला नम्बर 1 से 16 में 4.047 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36, मुरब्बा नम्बर 39 एवं मुरब्बा नम्बर 49 कुल 12.887 हैक्टर कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 राजस्व अभिलेखों में दर्ज उनकी खातेदारी कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है. इस प्रकार विवाद्यक

152/18

A2/26

संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 – क्या प्रतिकूल कब्जा के आधार पर औरतजात के खिलाफ वाद पोषणीय है अथवा नहीं है? ....**प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार अव्यस्क अथवा विधवा महिला की खातेदारी कृषि भूमि पर किसी को भी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती यहां तक कि यदि ऐसी विधवा महिला द्वारा मात्र काश्त करने के उद्देश्य से भी अपनी खातेदारी कृषि भूमि दी गयी है, तो भी ऐसे काश्तकार को भी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते. विचाराधीन प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से काश्त हेतु कृषि भूमि ली गयी हो, की बाबत किसी भी प्रकार के कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. इससे स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रतिवादीगण जो विधवा महिला एवं अव्यस्क बच्चे हैं, के विरूद्व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादपत्र पोषणीय नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 1 एच. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/30 मुरब्बा नबर 27 किला नम्बर 1 से 16 में 4.047 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 21 से 25 में 1.264 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 1 से 5 में 1.252 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 1 से 25 में 6.323 हैक्टर कुल 12.887 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.162 हैक्टर कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है.

निर्णय दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा वादपत्र निरस्त किया जाकर काउण्टर क्लेम स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 1 एच. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/30 मुरब्बा नबर 27 किला नम्बर 1 से 16 में 4.047 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 21 से 25 में 1.264 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 1 से 5 में 1.252 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 1 से 25 में 6.323 हैक्टर कुल 12.887 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.162 हैक्टर कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया गया.

152/18

A2
20

उक्त निर्णय दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 से व्यथित होकर मा. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 149/2017 शीर्षक अशोक गोदारा व अन्य बनाम श्रीमती राजेन्द्रकौर व अन्य प्रस्तुत की गयी. जिसमें मा. राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30 अप्रेल, 2018 के अनुसार अपील स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया कि इस न्यायालय द्वारा कायम तनकी एवं संग्रहित साक्ष्य अनुसार विवेचन कर पत्रावली में इस तनकी का निर्णय विनिश्चित कर एक माह के अन्दर वापिस इस न्यायालय में प्रस्तुत करें. जिसकी पालना में पत्रावली पुनः दर्ज पंजिका की जाकर निर्देशानुसार आदेश दिनांक 1 अगस्त, 2018 द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक निर्धारित किया गया –

5. क्या वादी प्रतिकूल कब्जा साक्ष्य आधारित प्रमाणित है या नहीं? ....वादी

उक्त विवाद्यक के विनिश्चिय हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा निरन्तर बहस हेतु समय चाहा गया जिसके परिणामतः आदेश दिनांक 1 अक्तूबर, 2018 द्वारा बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया गया. दिनांक 8 अक्तूबर, 2018 को पुनः वादी अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा गया. तदोपरान्त, दिनांक 16 अक्तूबर, 2018 को उक्त विवाद्यक पर बहस हेतु वादी अधिवक्त को रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी बहस हेतु उपस्थित नहीं आये किन्तु उनके कलर्क द्वारा निरन्तर तीन बार पत्रावली में आगामी तिथि की जानकारी हेतु सम्पर्क करने पर उन्हें वादी अधिवक्ता को बहस हेतु भेजने के कथन किये जाने पर भी वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

5. क्या वादी प्रतिकूल कब्जा साक्ष्य आधारित प्रमाणित है या नहीं? ....वादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार अव्यस्क अथवा विधवा महिला की खातेदारी कृषि भूमि पर किसी को भी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती यहां तक कि यदि ऐसी विधवा महिला द्वारा मात्र काश्त करने के उद्देश्य से भी अपनी खातेदारी कृषि भूमि दी गयी है, तो भी ऐसे काश्तकार को भी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते. विचाराधीन प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से काश्त हेतु कृषि भूमि ली गयी हो, की बाबत किसी भी प्रकार के कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. इससे स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर प्रतिवादीगण जो विधवा महिला एवं अव्यस्क बच्चे हैं, की कृषि भूमि पर के विरूद्व प्रतिकूल कब्जा के

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (वेस्ट टेक) श्रीगंगानगर

आधार पर वादपत्र पोषणीय नहीं होना विनिश्चित किया गया है. इस प्रकार वादी प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर बतौर अतिक्रमी है. तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार अतिक्रमी को कृषि भूमि के खातेदार के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं दिया गया जा सकता. इसके अतिरिक्त विचाराधीन वादपत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि चक 1 एच. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/30 **मुरब्बा नबर 27** की 4.047 हैक्टर, **मुरब्बा नम्बर 36 की 1.264** हैक्टर, **मुरब्बा नम्बर 39** की 1.252 हैक्टर, **मुरब्बा नम्बर 49** की 6.323 हैक्टर कुल 12.887 हैक्टर कृषि भूमि में *प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 3.162 हैक्टर* पर कब्जा होने के अभिवचन प्रस्तुत किया गये हैं. चूंकि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि संयुक्त खाता की है जिस पर वादीगण का प्रतिकूल कब्जा माना भी जाता है तो विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार अधिकार प्रदत्त करने के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं. जिसे माननीय राजस्व मण्डल राज., अजमेर द्वारा टी.ए. /577/2002/उदयपुर शीर्षक अमरा व अन्य बनाम भैरा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27 सितम्बर, 2001 में प्रतिपादित किया गया है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 5 वादीगण के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है तथा काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है. तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक 1 एच. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/30 मुरब्बा नबर 27 किला नम्बर 1 से 16 में 4.047 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 21 से 25 में 1.264 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 1 से 5 में 1.252 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 49 किला नम्बर 1 से 25 में 6.323 हैक्टर कुल 12.887 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.162 हैक्टर कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी घोषित किया गया. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें.यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.